INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, भोपाल, म0प्र0।

(69)

पुनरीक्षण प्रकरण क्र............/17

PBR/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/3337

एस0ओ0एस0 चिन्ड्रन्स बिलेज आफ इण्डिया,
शाखा भोपाल द्वारा बलग्राम प्रभारी
श्री दीपक सक्सैना आत्मज स्व0 श्री जे0 पी0 सक्सैना,
आयु वयस्क, ग्राम खजूरीकलॉ, तहसील हुजूर, भोपाल। ....आवेदक

विरूद्ध

शरीफ खॉ आत्मज स्व0 श्री पीर खॉ, आयु वयस्क,
निवासी– ग्राम खजूरीकलॉ, तहसील हुजूर, भोपाल। .... अनावेदक

<u>पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959</u>

महोदय,

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय माननीय राजस्व निरीक्षक, रांजधानी परियोजना प्रशासन एम0पी0 नगर वृत भोपाल द्वारा सीमांकन प्रकरण क्रमांक 25/अ–12/4–15 मे किये गये सीमांकन एवं पारित आदेश दिनांक 05–05–2015, जिसके द्वारा विद्वान राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को बिना सूचना दिये मनमाने तरीके से सीमांकन कर प्रतिवेदन एवं पंचनामा लेख किया है, से दुःखी होकर अपीलार्थी निम्न तथ्यों एवं आधारो पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है–

<u>अपील के तथ्य–</u>

1. यह कि आवेदक के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक 873, 872, 847, 875, 881/2, 882, 883, कुल रकवा 70.70 एकड़ भूमि ग्राम खजूरीकला तहसील हुजूर जिला भोपाल में स्थित है। आवेदक की उक्त भूमि के साथ ही अनावेदक के स्वत्व आधिपत्य की भूमि खसरा क्रमांक 876/2/2, रकवा 2.335 हैक्टेयर भी अवस्थित है। अनावेदक ने उसके स्वत्व की उपरोक्त भूमि के सीमांकन हेतु एक आवेदन विद्वान राजस्व निरीक्षक के समक्ष किया। अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक महोदय ने आवेदक को सूचना दिये बिना, मनमाने एवं बनावटी आधार पर दिनांक 05–05–2016 को कथित सीमांकन कार्यवाही निष्पादित कर इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि आवेदक ने अनावेदक की भूमि पर 0.14 एकड भाग पर कब्जा किया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/भोपाल/भू-रा./2017/3337 जिला - भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-8-2019	प्रकरण आज प्रस्तुत । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, नजूल एम.पी. नगर वृत्त जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 जो 27 जुलाई 2018 को मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ है, तथा दिनांक 25.09.2018 से लागू हुआ है । संशोधित अधिनियम की धारा 54 के अनुसार संशोधित अधिनियम 2018 के प्रवृत्त होने के ठीक पूर्व लंबित पुनरीक्षण के संबंध में धारा 54(क) के अनुसार "यदि वे किसी आवेदक के आवेदन पर शुरू की गई हो, मण्डल या उपरोक्त संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित अधिनियम की धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन उन्हें सुने जाने हेतु विनिश्चत किये जाने के लिए सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" चूंकि आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, नजूल एम.पी. नगर वृत्त न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । अत: संशोधित अधिनियम की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर, भोपाल को भेजा जाता है । कलेक्टर, भोपाल प्रकरण पंजीबद्ध कर म0प्र0 भू0रा0 सं0 की धारा 50 (1)(सी) के अंतर्गत पक्षकारों की सुनवाई कर यथोचित आदेश पारित करें । उभय पक्षकार दिनांक 14-10-2019 को कलेक्टर के समक्ष उपस्थित हों । अध्यक्ष	